कपिल सिब्बल
KAPIL SIBAL

मंत्री
मानव संसाधन विकास,
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी
भारत सरकार, नई दिल्ली-110 115
MINISTER OF
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT,
COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110 115

संदेश

संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रुप में अंगीकार किया गया है। राजभाषा का अभिप्राय राजकाज की भाषा अर्थात् सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा से है। राजभाषा के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों/सरकारी कार्यालयों की तरह मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी प्रत्येक वर्ष हिन्दी पखवाड़ा मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन हमें यह मनन करना होगा कि क्या वास्तविक रूप से हम इस दिवस को मनाने के पीछे जो मूल भावना है उसको साकार कर पा रहे हैं। हमें यह आत्ममंथन करना होगा कि हमने अपने सरकारी कार्य में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग किस हद तक किया। सरकार द्वारा संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के बारे में अनेक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इस बारे में आदेश जारी किए हैं। क्या हमने इन आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन किया? यह सब इस दिवस पर विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। संघ की राजभाषा नीति प्रेरणा, सद्भावना एवं प्रोत्साहन पर आधारित है।

अज्ञेय जी ने ठीक ही कहा था ''जब हम राजनीतिक दृष्टि से पराधीन थे तब तो हमारे पास स्वाधीन भाषा थी अब जब हम स्वाधीन हो गए हमारी भाषाएं पराधीन हो गई''। प्रचार और प्रसार, प्रयोग और व्यवहार के सींचन से भाषा का विकास होता है। आज सबसे बडी समस्या, प्रयोग और व्यवहार के स्तर पर उपेक्षा और उदासीनता की है। आज हमारे पास हिन्दी में सभी राजकीय कामकाज निष्पादित करने के लिए उपर्युक्त और पर्याप्त पारिभाषिक शब्दावली और साधन हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमें इन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए।

आइए, इस हिन्दी दिवस के अवसर पर हम सभी यह प्रण लें कि हम अपने व्यवहार में और सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिक-से-अधिक प्रयोग करेंगे।

कपिल सिब्बल

(कपिल सिब्बल)

नई दिल्ली
14 सितम्बर, 2011